FORM NO. III (प्रारूप संख्या–3)

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत ..... अति. जिला कलक्टर ..... मुकाम ..... नीमकाथाना .....

..... सरकार ..... बनाम ..... सुरेश कुमार .....

किस्म मुकदमा ..... FSS Act ..... नम्बर ..... 80 ..... वर्ष 2022

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
13.02.2023	पत्रावली पेश हुई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं अप्रार्थी श्री सुरेश कुमार शर्मा पुत्र विनोद कुमार शर्मा निवासी ग्रीन गोल्ड कैम्पस वेदान्ता कॉलेज के पीछे रींगस, सीकर मैसर्स एम.डी.स्वीट्स, देशनोक कॉलोनी, बजरी मंडी के सामने, भरूजी मोड़, रींगस सीकर कि ओर से अधिवक्ता श्री राजेन्द्र सिंह तंवर उपस्थित हुये। वकील अप्रार्थी ने उपस्थित होकर निवेदन किया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी के द्वारा दिनांक 24.01.2022 को समय 02.25 पी.एम. पर रींगस सीकर, में निरीक्षण के लिए पंहुचे। निरक्षण के दौरान विक्रय किये जा रहे मैसर्स एम.डी.स्वीट्स, देशनोक कॉलोनी, बजरी मंडी के सामने, भरूजी मोड़, रींगस सीकर, में अप्रार्थी श्री सुरेश कुमार शर्मा पुत्र विनोद कुमार शर्मा द्वारा मावा की बर्फी का विक्रय किया जा रहा था। अप्रार्थी को मैने अपना परिचय दिया व उसका नाम व पता पूछा जो उन्होनें बताया। सुरेश कुमार शर्मा से वर्ष 2022 का खाद्य पदार्थ अनुज्ञा पत्र के बारे में पूछा गया तो अप्रार्थी ने मौके पर खाद्य लाइसेन्स वर्ष 2022 होना बताया। फर्म पर श्री सुरेश कुमार शर्मा द्वारा मावा बर्फी का विक्रय किया जा रहा था। फर्म पर उपलब्ध 5 किलोग्राम मावा की बर्फी विक्रय के लिए रखा हुआ था। उपलब्ध स्टोक में से वास्ते नमूना जांच हेतु नमूना लेने के लिए कहा व फार्म नम्बर 5ए की प्रति तैयार कर नमूना लेने कि सूचना दी तथा प्राप्ति रसीद ली। नमूना जांच, 2 किग्रा मावा की बर्फी खरीदा जिसकी कीमत विक्रेता को 720 रु नगद देकर रसीद प्राप्त कि जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर है। तथा उपस्थिति गवाहन के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं ने हस्ताक्षर किये। उक्त नमूना **अमानक** पाया गया। प्रार्थी व वकील अप्रार्थी को सुना गया एवं पत्रावली व पत्रावली के संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। प्रार्थी नम्बर एफ–2581 खाद्य पदार्थ मावा की बर्फी का नमूना लिया गया। राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर कि रिपोर्ट के अवलोकन से प्रकरण **अमानक** पाया गया। अ[illegible] का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 200[illegible] व [illegible] 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(II) [illegible] वकील अप्रार्थी द्वारा ऐसा कोई ठोस दस्तावे[illegible] पेश नहीं किया [illegible] जिससे अप्रार्थी निर्दोष साबित होता हो। अप्रार्थी द्वारा जुर्म क[illegible] कर लिये जाने से भी जुर्म कि गम्भीरता कम नहीं हो जाती है। यह कृत्य लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने जैसा है साथ ही अप्रार्थी को आर्थिक दण्ड दिया जाना आवश्यक है तांकि भविष्य में ऐसी गलती करने से बाज आये। (अनिल कुमार) अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट [illegible]	

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2024.02.24 11:09:29 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
	अतः खाद्य एवं मानक अधिनियम 2006 तथा नियम 2011 की धारा 51 के तहत अप्रार्थी को 50,000 रू के जुर्माने से दण्डित किया जाता है तथा आदेश दिया जाता है कि जूर्माना राशि हैड 0210–04–800–03–00 खाद्य सुरक्षा कानून के अंन्तर्गत राज्यकोष में जरीये चालान जमा करावें एवं जमा राशि कि एक प्रति इस न्यायालय में पेश कि जावे। जूर्माना राशि जमा नहीं कराने पर अप्रार्थी के विरूद्ध खाद्य अधिनियम के तहत कार्यवाही अमल में लायी जायेगी। आदेश आज दिनांक 13.02.20223 को सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो। (अनिल कुमार) अति. जिला कलक्टर, नीमकाथाना सीकर (अनिल कुमार) अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट नीमकाथाना (सीकर) अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट • नीमकाथाना (सीकर) •	

Signature Not Verified

Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2024.02.24 11:09:29 IST
Reason: SelfAttested